



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12702

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-35623 वर्ष 2025

अभय उर्फ देव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कपिल कुमार, नितिका शर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री कपिल कुमार, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2020 के अपराध संख्या-149 में धारा 147, 148, 302, 307, 324, 504 भ०द०वि०, थाना-खेकड़ा, जिला: बागपत के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक और पांच अन्य आरोपी व्यक्तियों का नाम जेल परिसर के भीतर 2.5.2020 को दोपहर लगभग 03:20 बजे एक जेल कैदी की हत्या और दूसरे को लगी चोट के मामले में है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक 2.5.2020 से जेल में बंद है, इस प्रकार, कैद की अवधि पांच वर्ष से अधिक हो जाती है।
6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है, इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास के बारे में बताया गया है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. ततस्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648** में कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा जमानत का उसका मामला बन जाता है।

9. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत एक नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में दोहराया गया है।

11. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आई.एन.एस.सी. 595** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

12. अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी किसी भी असाधारण परिस्थिति को सामने नहीं ला सके जो आवेदक को जमानत से इनकार कर दे।



13. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 13.11.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक गवाह अ०सा०-1, डिप्टी जेलर निर्भय कुमार सिंह से पूछताछ की गई है। सह-आरोपी व्यक्ति अलग-अलग जेलों में बंद हैं क्योंकि विचारण न्यायालय के लिए मुकदमे को जारी रखने में समस्या हो रही है।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, मुकदमे की अनिश्चित स्थिति और कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य से युग्मित कि आज तक केवल एक गवाह की जांच की गई है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम रूप से, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

15. आवेदक- अभय उर्फ देव, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 19, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)